उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शनिवार, 20 मार्गशीर्ष, शक संवत्, 1943

(दिनांक : 11 दिसम्बर, 2021)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. निधन के निदेश।

2. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2021 के द्वितीय सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।

3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

4. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

5. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

6. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

7. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"क"**)

8. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

9. वित्तीय वर्ष 2021-2022 की द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः-

(1) विधि एवं न्याय मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रू0 5170 हजार (ईकावन लाख सत्तर हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

(2) राजस्व मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रू0 6683600 हजार (छः सौ अडसठ करोड़ छत्तीस लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

(3) वित्त मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रू0 102800 हजार (दस करोड़ अठ्ठाईस लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

(4) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रू0 2500 हजार (पच्चीस लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

(5) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत रू0 1040000 हजार (एक सौ चार करोड़ मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

(6) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत रू0 838000 हजार (तिरासी करोड़ अस्सी लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

(7) ग्राम्य विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रू0 1046700 हजार (एक सौ चार करोड़ सड़सठ लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

(8) लोक निर्माण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 1500000 हजार (एक सौ पचास करोड़ मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

(9) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत रू0 138826 हजार (तेरह करोड़ अठ्ठासी लाख छब्बीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

(10) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 138587 हजार (तेरह करोड़ पचासी लाख सतासी हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

(11) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 29730 हजार (दो करोड़ सतानवे लाख तीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

10. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

11. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

12. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

13. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

14. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण)} (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री प्रीतम सिंह, 2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. श्री करन माहरा, 5. श्री हरीश सिंह, 6. श्रीमती ममता राकेश, 7. श्री आदेश सिंह चौहान, 8. श्री मनोज रावत, 9. श्री फुरकान अहमद।	उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण)} (संशोधन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

15. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण)} (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाय।

16. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री प्रीतम सिंह, 2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. श्री करन माहरा, 5. श्री हरीश सिंह, 6. श्रीमती ममता राकेश, 7. श्री आदेश सिंह चौहान, 8. श्री मनोज रावत, 9. श्री फुरकान अहमद।	उत्तराखण्ड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

17. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाय।

18. कृषि मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **(30 मिनट)**

<u>प्रस्तावक का नाम</u>	<u>संशोधन का रूप</u>
1. श्री प्रीतम सिंह, 2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. श्री करन माहरा, 5. श्री हरीश सिंह, 6. श्रीमती ममता राकेश, 7. श्री आदेश सिंह चौहान, 8. श्री मनोज रावत, 9. श्री फुरकान अहमद।	उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

19. कृषि मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित विधेयक, 2021 को पारित किया जाय।

20. धर्मस्व एवं तीर्थाटन मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **(30 मिनट)**

<u>प्रस्तावक का नाम</u>	<u>संशोधन का रूप</u>
1. श्री प्रीतम सिंह, 2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. श्री करन माहरा, 5. श्री हरीश सिंह, 6. श्रीमती ममता राकेश, 7. श्री आदेश सिंह चौहान, 8. श्री मनोज रावत, 9. श्री फुरकान अहमद।	उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

21. धर्मस्व एवं तीर्थाटन मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाय।

22. पंचायतीराज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री प्रीतम सिंह, 2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. श्री करन माहरा, 5. श्री हरीश सिंह, 6. श्रीमती ममता राकेश, 7. श्री आदेश सिंह चौहान, 8. श्री मनोज रावत, 9. श्री फुरकान अहमद।	उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

23. पंचायतीराज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाय।

24. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **(30 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री प्रीतम सिंह, 2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. श्री करन माहरा, 5. श्री हरीश सिंह, 6. श्रीमती ममता राकेश, 7. श्री आदेश सिंह चौहान, 8. श्री मनोज रावत, 9. श्री फुरकान अहमद।	आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

25. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पारित किया जाय।

26. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री प्रीतम सिंह, 2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. श्री करन माहरा, 5. श्री हरीश सिंह, 6. श्रीमती ममता राकेश, 7. श्री आदेश सिंह चौहान, 8. श्री मनोज रावत, 9. श्री फुरकान अहमद।	उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

27. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक, 2021 को पारित किया जाय।

28. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री प्रीतम सिंह, 2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. श्री करन माहरा, 5. श्री हरीश सिंह, 6. श्रीमती ममता राकेश, 7. श्री आदेश सिंह चौहान, 8. श्री मनोज रावत, 9. श्री फुरकान अहमद।	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

29. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाय।

30. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड किरायेदारी विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री प्रीतम सिंह, 2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 4. श्री करन माहरा, 5. श्री हरीश सिंह, 6. श्रीमती ममता राकेश, 7. श्री आदेश सिंह चौहान, 8. श्री मनोज रावत, 9. श्री फुरकान अहमद।	उत्तराखण्ड किरायेदारी विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

31. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड किरायेदारी विधेयक, 2021 को पारित किया जाय।

(समय : अपराह्न 01:00 बजे)।

32. आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर चर्चा।

33. **निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :-**

1. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों के लिए प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र संबंधी शासनादेश का प्रचार प्रसार किया जाय।"

2. श्री आदेश सिंह चौहान- "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र जसपुर में तीर्थनगर भोगपुर डैम में विगत कई वर्षो से बसे/ निवास कर रहे निवासियों के लोक हित में उक्त गाँव को राजस्व गाँव का दर्जा दिया जाय। "

3. श्री करन माहरा, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के हायर सेन्टर (सुपर स्पेशलिस्ट) चिकित्सालयों एवं मेदान्ता अस्पताल, गुड़गांव को गोल्डन कार्ड के पैनल में सम्मिलित किया जाये।"

4. श्री भरत सिंह चौधरी, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि केन्द्र सरकार से मांग की जाय कि जनपद रूद्रप्रयाग के बड़मा (जमोली) में स्वीकृत तथा निर्माणधीन प्रदेश के द्वितीय सैनिक स्कूल के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से अनुदान राशि की मांग की जाय।"

5. श्रीमती ममता राकेश, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से सिडकुल (औद्योगिक आस्थानों) की स्थापना की गयी है किन्तु उक्त आस्थानों में उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को नाम-मात्र का रोजगार प्राप्त हुआ है जबकि उक्त कम्पनियों में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का वादा/आदेश किया गया था लेकिन किसी भी आस्थान/कम्पनियों द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रदेश के स्थानीय युवाओं/बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।"

34. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया "बाल गंगा विकास खण्ड" बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।"

35. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।"

36. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय"।

37. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय"।

38. काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय"।

39. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑं, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय"।

40. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय"।

41. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु "राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।"

42. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।"

43. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।"

44. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय"।

45. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मतस्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय"।

46. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय"।

47. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई-नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने-अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न करायें"।

48. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या-1118/XVII-1/2013-01(20)2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुर्नविचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या-02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्भाविक (Bonafide Residents) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय"।

49. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनु0 जनजाति व अन्य परम्परागत वन (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद्सम्बन्धी नियमावली 2008 में संशोधन हेतु संकल्प पारित कर भारत सरकार को प्रेषित किया जाय कि अन्य परम्परागत वन निवासी 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तीन पीढ़ियों 75 वर्ष से वन भूमि पर काबिज हो के स्थान पर पीढ़ी 25 वर्ष से वन भूमि में काबिज हो किया जाय"।

50. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में शराब को पूर्ण प्रतिबन्धित किया जाय"।

51. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की शीघ्र तैनाती की जाय"।

52. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि "जाति व्यवस्था को आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन एवं समाज में समरूपता/एकरूपता बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाये कि वह इस उद्देश्य से नाम के पीछे जाति, गोत्र आदि सूचक शब्दों को हटाने के लिए आवश्यक विधि व्यवस्था निरूपित करें या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के नाम के आगे उनकी जाति जो स्वेच्छा से लगाना चाहें उनके नाम के आगे उनकी जाति गोत्र सूचक शब्द लगाये जाने की अनुमति प्रदान करें अथवा प्रदेश में जिन लोगों के नाम के पीछे जाति/ गोत्र सूचक शब्द लगा हुआ है उन्हें तत्काल हटाया जाय। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय"।

53. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन/नियमित किया जाय"।

54. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि "प्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक समरूपता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि माननीय सदस्यों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में ही सुनिश्चित की जाय, जहा पर यह कार्यरत है।

55. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि स्वर्गीय डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, पूर्व उपाध्यक्ष विधान सभा उत्तराखण्ड द्वारा भराड़ीसैंण, (गैरसैंण) जनपद चमोली में विधान सभा भवन निर्माण कार्य आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए योगदान प्रदान करने के दृष्टिगत भराड़ीसैंण (गैरसैंण) विधान सभा परिसर के विधायक हॉस्टल का नाम उनकी पुण्य स्मृति में कर दिया जाय।"

56. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गैरसैंण (भराड़ीसैंण) को स्थायी राजधानी घोषित किया जाय।"

57. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में चयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था को समाप्त कर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित की जाय। और ऐसी संस्थाओं को चयनित करने के लिए इस वर्ग के प्रबुद्ध जनों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाय।"

58. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड ओखलकाण्डा के ग्राम सभा ढोलीगांव व लूगड़ में जनहित को देखते हुए आई0टी0आई0 खोला जाय।"

59. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में अक्टूबर, 2005 के बाद से नियुक्त शिक्षक/कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय।"

60. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के समेकित एवं सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य स्तरीय आय व्ययक आवंटन को भौगोलिक एवं आर्थिक आलोक में युक्तिसंगत बनाने एवं राज्य के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि एक अधिकार सम्पन्न "आय व्ययक एवं वित पोषण समरूपता प्रदायक आयोग" का गठन कर उसका कियान्वयन किया जाय।"

61. **<u>निम्नलिखित 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :-</u>**

1. श्री मनोज रावत, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद रूद्रप्रयाग के अंतर्गत केदारनाथ विधान सभा में विश्वस्तरीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय।"

2. श्री करन माहरा, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के कार्मिकों की पेंशन की अनुमन्यता जो वर्ष 2005 से समाप्त कर दी गई है, को पुनः बहाल की जाय।"

3. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि राजश्री ऐग्रों शुगर मिल लिमिटेड इकबालपुर हरिद्वार पर किसानों की वर्ष 2017-18 में 40 करोड़ रूपये व 2018-19 में 104 करोड़ रूपये की बकाया है। जिस कारण किसानों में आक्रोश व्याप्त है और किसान अपने जरूरी कार्य भी नहीं कर पा रहा है, जिस कारण किसान धरना प्रदर्शन करने को कई वर्षों से मजबूर हैं लेकिन मिल प्रबन्धन द्वारा गन्ने की बकाया दिये जाने की कोई प्रभावी कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने की बकाया को लेकर मिल प्रबन्धक के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है।

अतः उत्तराखण्ड सरकार भी उत्तर प्रदेश सरकार की भांति किसानों की बकाया को लेकर मिल प्रबन्धक/मालिक के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कर गिरफ्तार करें और मिल की चल अचल सम्पत्ति कुर्क करते हुए नीलाम कर किसानों की बकाया दिलाई जाय।"

62. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।"

63. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी-छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।"

64. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।"

65. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।"

66. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।"

67. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर "डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।"

68. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।"

69. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराय जाय"।

70. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।"

71. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।"

72. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण काश्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद एवं लम्बित शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाय।"

73. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सरकार द्वारा सीधी भर्ती का रोस्टर बदलकर अनु0 जाति को पहले स्थान से हटाकर 06 वां स्थान करने पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 07 से हटाकर 08 वां स्थान करने तथा अनुसूचित जनजाति के कमांक 24-25 वां स्थान करने से इस वर्ग के लोग हो रहे लाभ से वंचित हो गये है जबकि फरवरी 2019 में ही रोस्टर बदलने का क्या कारण है सरकार द्वारा तत्काल पूर्व रोस्टर को पुनः स्थापित किया जाय।"

74. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी व असरकारी/लावारिस भूमि को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन गरीब लोगों को विधिवत आवंटित किया जायें, जिससे गरीब अपने परिवार का लालन-पोषण भी कर सकें, और पहाड़ से पलायन भी रोका जा सके।"

75. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना निर्माण से प्रभावित कास्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद शिकायतों को शीघ्र निस्तारण किया जाय"।

76. श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के किसानों की फसलों को बन्दरों व सुअरों के आतंक से बचाने व निजात दिलाने के लिए ठोस नीति बनायी जाय।"

77. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि डाटकाली मन्दिर को जाने वाली सुरंग के पुनर्निर्माण एवं वन वे मोटर मार्ग सुनिश्चित किया जाय।"

78. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में निरन्तर हो रही दैवीय आपदा के दृष्टिगत अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग भूमिहीन परिवारों को राजस्व भूमि आवंटित कराने हेतु एक उच्चस्तरीय प्रादेशिक समिति गठित की जाय। जो उनके समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाओं युक्त स्थलों का विकास भी सुनिश्चित किया जाय और सिडकुल जैसी भूमि भी इसमें शामिल की जाय।"

79. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड-ओखलकाण्डा, धारी व रामगढ़ के मध्य एक पालिटैक्निक कालेज खोला जाय।"

80. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि एक राज्य स्तरीय बहुउद्देशीय दीर्घकालिक योजना निरूपित कर वर्तमान विषमताओं के निदान के लिए एक उच्च स्तरीय "स्वास्थ्य सेवा परामर्शी दात्री आयोग का गठन किया जाय।"

81. श्री महेश जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में विकासखण्डों को विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, नये विकास खण्डों के गठन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।"

82. **<u>निम्नलिखित नियम-54 की सूचनाओं का प्रस्तुतीकरणः-</u>**

1. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, "काश्तकारों की कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाना सुनिश्चित किया जाय"

2. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, "उत्तराखण्ड राज्य में बढ्ती हुयी दलित घटनाओं के आलोक में जनपद चम्पावत के पाटी गांव में बारात में खाना परोसने पर श्री रमेश राम की हत्या एवं हत्या के आठ दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी न होने, पोस्टमाटम रिपोर्ट न मिलने के लोक महत्व के मुद्दे पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।"

3. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, "जाति प्रमाण-पत्रों का वर्ष 2000 से निर्गत किये जाने के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।"

4. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, "प्रदेश में किसानों को बुआई के लिए उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराया जाय।"

83. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।"

84. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।"

85. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत "इरशाद हुसैन" आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिर्पोट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।"

86. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोड़ों रूपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।"

87. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"आयोजनागत एवं आयोजनोत्तर योजनाओं के आय-व्यय निर्धारण में संविलियन होने से एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 का मात्राकरण जो पूर्व में इनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता था उस व्यवस्था के समाप्त होने के कारण पृथक-पृथक मात्राकरण आय-व्यय के नहीं होने के कारण इन योजनाओं का अस्तित्व ही निर्थक हो गया है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर आय-व्यय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः इनके मात्राकरण के लिए तत्काल सरकार नीति निर्धारित करें।"

88. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) जो केन्द्र की विशेष अनुदान से संचालित होती है। उक्त योजनाओं को पारदर्शी एवं जबाबदेह बनाने के लिए तेलंगाना राज्य की भांति अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) को अधिनियमित किया जाये। ताकि प्रतिवर्ष केन्द्र द्वारा दी जाने वाली विशेष अनुदान से संचालित योजनाओं की समीक्षा कर विभाग की जबाब देही तय की जा सके।"

89. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"सदियों से सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर गैर बराबरी का दंश झेल रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों के लिए उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय/सैनिक स्कूल की तर्ज पर एक-एक आवासीय विद्यालय बनायें जायें, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद-21के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ गुणवक्तायुक्त शिक्षा का अधिकार हाँसिल हो सके।"

90. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार बनाने के लिए राज्य में सभी सरकारी एंव गैर सरकारी मेडिकल कालेजों में बनने वाले डॉक्टरों को निर्धारित समय के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने के लिए अनुबंधित किया जाये।"

91. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"उत्तराखण्ड राज्य में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत देय मजदूरी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय के अनुसार निर्धारित की जाये। ताकि मनरेगा उत्तराखण्ड में ग्रामीण विकास में मील का पत्थर सिद्ध हो सके।"

92. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"प्रदेश में गन्ने का मूल्य बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।"

93. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"अनुसूचित जाति बाहुल्य राजस्व ग्रामों/क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु।"

94. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"जनपद हरिद्वार के इकबालपुर क्षेत्र में प्रस्तावित नहर का कार्य तत्काल शुरू कराने के सम्बन्ध में"

95. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"जनपद हरिद्वार के सम्पूर्ण क्षेत्र को कुम्भ क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में"

96. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए हरिद्वार में पूर्ण नशाबन्दी किये जाने विषयक"

97. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

98. विधान सभा क्षेत्र राजपुर रोड़ के अन्तर्गत लो0नि0वि0 के द्वारा सड़कों पर किये जाने वाले सुधारीकरण कार्य के दौरान सड़क के मध्य में पडने वाले मेन होल चैम्बरों को उठाये जाने के सम्बन्ध में, श्री खजान दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को दी गई सूचना पर, लो0नि0वि0मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

99. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सड़क विडौरा छमीपाथशाही गुरूद्वारा से सुनखरी कला तक के निर्माण न होने से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में, डा0 प्रेम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को दी गई सूचना पर, ग्राम्य विकास मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 10 दिसम्बर, 2021

(मुकेश सिंघल)
सचिव (प्रभारी)।

नत्थी-"क"

कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 की बैठक में दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 (शनिवार)

विधायी कार्य।

1. उत्तराखण्ड विनियोग (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021का अनुज्ञा से पुरःस्थापन पर विचार एवं पारण।
2. उत्तराखण्ड { (उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण)} (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)
3. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सिविल विधि (संशोधन), विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)
4. उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित, विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
5. उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
6. उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)
7. आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
8. उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
9. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)।
10. उत्तराखण्ड किरायेदारी विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

अन्य कार्यः-

आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर चर्चा।

असरकारी कार्य।

1. **निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :-**

1. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों के लिए प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र संबंधी शासनादेश का प्रचार प्रसार किया जाय।"

2. आदेश सिंह चौहान- "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र जसपुर में तीर्थनगर भोगपुर डैम में विगत कई वर्षो से बसे/ निवास कर रहे निवासियों के लोक हित में उक्त गाँव को राजस्व गाँव का दर्जा दिया जाय। "

3. श्री करन माहरा, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के हायर सेन्टर (सुपर स्पेशलिस्ट) चिकित्सालयों एवं मेदान्ता अस्पताल, गुड़गांव को गोल्डन कार्ड के पैनल में सम्मिलित किया जाये।"

4. श्री भरत सिंह चौधरी, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि केन्द्र सरकार से मांग की जाय कि जनपद रूद्रप्रयाग के बड़मा (जमोली) में स्वीकृत तथा निर्माणधीन प्रदेश के द्वितीय सैनिक स्कूल के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से अनुदान राशि की मांग की जाय।"

5. श्रीमती ममता राकेश, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से सिडकुल (औद्योगिक आस्थानों) की स्थापना की गयी है किन्तु उक्त आस्थानों में उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को नाम-मात्र का रोजगार प्राप्त हुआ है जबकि उक्त कम्पनियों में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का वादा/आदेश किया गया था लेकिन किसी भी आस्थान/कम्पनियों द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रदेश के स्थानीय युवाओं/बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।"

2. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया "बाल गंगा विकास खण्ड" बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।"

3. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।"

4. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय"।

5. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय"।

6. काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय"।

7. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय"।

8. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय"।

9. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु "राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।"

10. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।"

11. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।"

12. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय"।

13. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मतस्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय"।

14. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय"।

15. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई-नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने-अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न करायें"।

16. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या-1118/XVII-1/2013-01(20)2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुर्नविचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या-02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्भाविक (Bonafide Residents) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय"।

17. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनु0 जनजाति व अन्य परम्परागत वन (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद्सम्बन्धी नियमावली 2008 में संशोधन हेतु संकल्प पारित कर भारत सरकार की प्रेषित किया जाय कि अन्य परम्परागत वन निवासी 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तीन पीढ़ियों 75 वर्ष से वन भूमि पर काबिज हो के स्थान पर पीढ़ी 25 वर्ष से वन भूमि में काबिज हो किया जाय"।

18. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में शराब को पूर्ण प्रतिबन्धित किया जाय"।

19. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की शीघ्र तैनाती की जाय"।

20. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि "जाति व्यवस्था को आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन एवं समाज में समरूपता/एकरूपता बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाये कि वह इस उद्देश्य से नाम के पीछे जाति, गोत्र आदि सूचक शब्दों को हटाने के लिए आवश्यक विधि व्यवस्था निरूपित करें या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के नाम के आगे उनकी जाति जो स्वेच्छा से लगाना चाहें उनके नाम के आगे उनकी जाति गोत्र सूचक शब्द लगाये जाने की अनुमति प्रदान करें अथवा प्रदेश में जिन लोगों के नाम के पीछे जाति/ गोत्र सूचक शब्द लगा हुआ है उन्हें तत्काल हटाया जाय। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय"।

21. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन/नियमित किया जाय"।

22. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि "प्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक समरूपता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि माननीय सदस्यों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में ही सुनिश्चित की जाय, जहा पर यह कार्यरत है।

23. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि स्वर्गीय डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, पूर्व उपाध्यक्ष विधान सभा उत्तराखण्ड द्वारा भराड़ीसैंण, (गैरसैंण) जनपद चमोली में विधान सभा भवन निर्माण कार्य आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए योगदान प्रदान करने के दृष्टिगत भराड़ीसैंण (गैरसैंण) विधान सभा परिसर के विधायक हॉस्टल का नाम उनकी पुण्य स्मृति में कर दिया जाय।"

24. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गैरसैंण (भराड़ीसैंण) को स्थायी राजधानी घोषित किया जाय।"

25. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में चयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था को समाप्त कर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित की जाय। और ऐसी संस्थाओं को चयनित करने के लिए इस वर्ग के प्रबुद्ध जनों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाय।"

26. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड ओखलकाण्डा के ग्राम सभा ढोलीगांव व लूगड़ में जनहित को देखते हुए आई0टी0आई0 खोला जाय।"

27. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में अक्टूबर, 2005 के बाद से नियुक्त शिक्षक/कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय।"

28. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के समेकित एवं सर्वागींण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य स्तरीय आय व्ययक आवंटन को भौगोलिक एवं आर्थिक आलोक में युक्तिसंगत बनाने एवं राज्य के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि एक अधिकार सम्पन्न "आय व्ययक एवं वित पोषण समरूपता प्रदायक आयोग" का गठन कर उसका कियान्वयन किया जाय।"

29. **निम्नलिखित 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :-**

1. श्री मनोज रावत, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद रूद्रप्रयाग के अंतर्गत केदारनाथ विधान सभा में विश्वस्तरीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय।"

2. श्री करन माहरा, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के कार्मिकों की पेंशन की अनुमन्यता जो वर्ष 2005 से समाप्त कर दी गई है, को पुनः बहाल की जाय।"

3. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि राजश्री ऐग्रों शुगर मिल लिमिटेड इकबालपुर हरिद्वार पर किसानों की वर्ष 2017-18 में 40 करोड़ रूपये व 2018-19 में 104 करोड़ रूपये की बकाया है। जिस कारण किसानों में आक्रोश व्याप्त है और किसान अपने जरूरी कार्य भी नहीं कर पा रहा है, जिस कारण किसान धरना प्रदर्शन करने को कई वर्षों से मजबूर हैं लेकिन मिल प्रबन्धन द्वारा गन्ने की बकाया दिये जाने की कोई प्रभावी कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने की बकाया को लेकर मिल प्रबन्धक के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है।

अतः उत्तराखण्ड सरकार भी उत्तर प्रदेश सरकार की भांति किसानों की बकाया को लेकर मिल प्रबन्धक/मालिक के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कर गिरफ्तार करें और मिल की चल अचल सम्पत्ति कुर्क करते हुए नीलाम कर किसानों की बकाया दिलाई जाय।"

30. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।"

31. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी-छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।"

32. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।"

33. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।"

34. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।"

35. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर "डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।"

36. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।"

37. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराय जाय"।

38. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।"

39. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।"

40. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण काश्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद एवं लम्बित शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाय।"

41. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सरकार द्वारा सीधी भर्ती का रोस्टर बदलकर अनु0 जाति को पहले स्थान से हटाकर 06 वां स्थान करने पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 07 से हटाकर 08 वां स्थान करने तथा अनुसूचित जनजाति के क्रमांक 24-25 वां स्थान करने से इस वर्ग के लोग हो रहे लाभ से वंचित हो गये है जबकि फरवरी 2019 में ही रोस्टर बदलने का क्या कारण है सरकार द्वारा तत्काल पूर्व रोस्टर को पुनः स्थापित किया जाय।"

42. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी व असरकारी/लावारिस भूमि को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन गरीब लोगों को विधिवत आवंटित किया जायें, जिससे गरीब अपने परिवार का लालन-पोषण भी कर सकें, और पहाड़ से पलायन भी रोका जा सके।"

43. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना निर्माण से प्रभावित कास्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद शिकायतों को शीघ्र निस्तारण किया जाय"।

44. श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के किसानों की फसलों को बन्दरों व सुअरों के आतंक से बचाने व निजात दिलाने के लिए ठोस नीति बनायी जाय।"

45. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि डाट्काली मन्दिर को जाने वाली सुरंग के पुनर्निर्माण एवं वन वे मोटर मार्ग सुनिश्चित किया जाय।"

46. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में निरन्तर हो रही दैवीय आपदा के दृष्टिगत अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग भूमिहीन परिवारों को राजस्व भूमि आवंटित कराने हेतु एक उच्चस्तरीय प्रादेशिक समिति गठित की जाय। जो उनके समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाओं युक्त स्थलों का विकास भी सुनिश्चित किया जाय और सिडकुल जैसी भूमि भी इसमें शामिल की जाय।"

47. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड-ओखलकाण्डा, धारी व रामगढ़ के मध्य एक पालिटैक्निक कालेज खोला जाय।"

48. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि एक राज्य स्तरीय बहुउद्देशीय दीर्घकालिक योजना निरूपित कर वर्तमान विषमताओं के निदान के लिए एक उच्च स्तरीय "स्वास्थ्य सेवा परामर्शी दात्री आयोग का गठन किया जाय।"

49. श्री महेश जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा:-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में विकासखण्डों को विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, नये विकास खण्डों के गठन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।"

50. **<u>निम्नलिखित नियम-54 की सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण:-</u>**

1. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, "काश्तकारों की कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाना सुनिश्चित किया जाय"

2. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, "उत्तराखण्ड राज्य में बढ़ती हुयी दलित घटनाओं के आलोक में जनपद चम्पावत के पाटी गांव में बारात में खाना परोसने पर श्री रमेश राम की हत्या एवं हत्या के आठ दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी न होने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट न मिलने के लोक महत्व के मुद्दे पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।"

3. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, "जाति प्रमाण-पत्रों का वर्ष 2000 से निर्गत किये जाने के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।"

4. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, "प्रदेश में किसानों को बुआई के लिए उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराया जाय।"

51. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।"

52. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।"

53. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत "इरशाद हुसैन" आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिर्पोट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।"

54. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोडों रुपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।"

55. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"आयोजनागत एवं आयोजनोत्तर योजनाओं के आय-व्यय निर्धारण में सम्बलियन होने से एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 का मात्राकरण जो पूर्व में इनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता था उस व्यवस्था के समाप्त होने के कारण पृथक-पृथक मात्राकरण आय-व्यय के नहीं होने के कारण इन योजनाओं का अस्तित्व ही निर्थक हो गया है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर आय-व्यय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः इनके मात्राकरण के लिए तत्काल सरकार नीति निर्धारित करें।"

56. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) जो केन्द्र की विशेष अनुदान से संचालित होती है। उक्त योजनाओं को पारदर्शी एवं जबाबदेह बनाने के लिए तेलंगाना राज्य की भांति अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) को अधिनियमित किया जाये। ताकि प्रतिवर्ष केन्द्र द्वारा दी जाने वाली विशेष अनुदान से संचालित योजनाओं की समीक्षा कर विभाग की जबाब देही तय की जा सके।"

57. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"सदियों से सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर गैर बराबरी का दंश झेल रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गो के बच्चों के लिए उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय/सैनिक स्कूल की तर्ज पर एक-एक आवासीय विद्यालय बनायें जायें, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद-21के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ गुणवक्तायुक्त शिक्षा का अधिकार हँसिल हो सके।"

58. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार बनाने के लिए राज्य में सभी सरकारी एंव गैर सरकारी मेडिकल कालेजों में बनने वाले डॉक्टरों को निर्धारित समय के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने के लिए अनुबंधित किया जाये।"

59. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"उत्तराखण्ड राज्य में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत देय मजदूरी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय के अनुसार निर्धारित की जाये। ताकि मनरेगा उत्तराखण्ड में ग्रामीण विकास में मील का पत्थर सिद्व हो सके।"

60. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"प्रदेश में गन्ने का मूल्य बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।"

61. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"अनुसूचित जाति बाहुल्य राजस्व ग्रामों/क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु।"

62. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"जनपद हरिद्वार के इकबालपुर क्षेत्र में प्रस्तावित नहर का कार्य तत्काल शुरू कराने के सम्बन्ध में"

63. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"जनपद हरिद्वार के सम्पूर्ण क्षेत्र को कुम्भ क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में"

64. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए हरिद्वार में पूर्ण नशाबन्दी किये जाने विषयक"